तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	निगरानी/टी.ए./12491/2004/बीकानेर **इस्माईल खां व अन्य बनाम जानद पुत्री नूरमोहम्मद व अन्य**	
	एकल–पीठ **श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री राजेश वैद अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री सुरेशचन्द व्यास अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय दिनांक : 13.11.18** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी डुंगरगढ के आदेश दिनांक 2–1–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। 2– आक्षेपित आदेश के द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत दावा अवेट करने खारिज कर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वाद के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 शकीना का निधन नवम्बर 2002 में हो गया था। जिसकी जानकारी अप्रार्थिनी वादी श्रीमती जानद को थी फिर भी उसने 90दिन के अन्दर मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के कानूनी एवं जायज वारिसान को कायम मुकाम नहीं बनाया। इसलिये दावा स्वतः अबेट हो गया। उनका तर्क है कि अप्रार्थी वादिनी ने आदेश 22 नियम 4 व 9 जाब्ता दीवानी के तहत न्यायालय के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया न ही डिले कण्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने भी कायम मुकाम रेकार्ड पर लेने से पूर्व प्रार्थना पत्र को मियाद में शुमार करने का आदेश पारित नहीं किया इसलिये आक्षेपित आदेश निरस्त योग्य है। 5– जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस बताया कि प्रतिवादी से सूचना मिलने के 20 दिन के भीतर मृतक प्रतिवादी के वारिसान को रेकार्ड पर लाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया था। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिसम्मत है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./12491/2004/बीकानेर</u>** **इस्माईल खां व अन्य बनाम जानद पुत्री नूरमोहम्मद व अन्य**	
	निगरानी खारिज योग्य है। 6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7– प्रार्थी की ओर से निगरानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसका विपक्षी ने जबाब भी प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तकनीकी पहलुओं पर ध्यान न देकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करना न्यायोचित है। विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती का है। यदि तकनीकी आधार पर वाद को खारिज कर दिया जाता है तो पक्षकारों के मध्य न्याय नहीं हो सकेगा। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अनेकानेक निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रकरण को तकनीकी आधार पर खारिज न कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को अबेट मानते हुये खारिज न कर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने के वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है जिसमें निगरानी के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। 8– अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद वर्ष 1999 से लम्बित है जो काफी पुराना हो चुका है।इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को आदेशित किया है कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदन की तारीख पेशी नियत कर प्रकरण का विधि अनुसार तीन माह के अन्दर निस्तारण करें। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14–12–2018 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	